FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

गागुन्दा

5/4/4 23/12 192 343

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई   मुकाम अराई (अजमेर)

• शान्तिलाल पुत्र स्व. श्री मदनलाल जाति ब्राहमण आयु 52 साल निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अराई जिला अजमेर राज।
–प्रार्थीगण

बनाम

• गणेशी लाल पुत्र स्व. श्री मदनलाल जाति ब्राहमण आयु 58 साल निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– 212 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 73 /2022
ऑनलाइन नंबर 2022/ 74

वकील प्राथी इन्द्रेश के.रामचन्दानी   वकील अप्रार्थीगण..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तानील मे जारी हुए
22.07.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश के रामचन्दानी ने राज.का.अधि. 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया। वकील प्रार्थी ने अपनी एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 आपस में भाई है एवं वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि पैतृक है जिसमें वादी 1/2 हिस्से में तथा प्रतिवादी संख्या 01 अपने 1/2 हिस्से में सह खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। यह है कि उक्त भूमि का अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पुत्र उपरोक्त सहखातेदारी की भूमि पर घुसकर पेडों को काटते है तथा प्रार्थी की सिंचाई व काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित ग्राम गागुन्दा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 32 खसरा संख्या 02, 03, 223, 280, 656 कुल किता 05 कुल रकबा 12.7540 हैक्टैयर भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि में घुसकर पेडों को नहीं काटे, तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखें तथा प्रार्थी के कृषि कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। हमारे द्वारा वकील वादी को सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणिय क्षति प्रार्थी को होना कारित है अतः प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित ग्राम गागुन्दा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 32 खसरा संख्या 02, 03, 223, 280, 656 कुल किता 05 कुल रकबा 12.7540 हैक्टैयर भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि व हक हिस्से तक प्रार्थी के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, पेडों को नहीं काटे तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखने के लिये अप्रार्थी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26.08.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। आज .... बार [illegible] .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/5/25 को पेश हो।
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब अन्य कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 18/7/25 को पेश हो।
18/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब अन्य कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 26/9/25 को पेश हो। WD
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. नं. जवाबदेह मोहलत चाही पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो WD उपखण्ड अधिकारी अराई
28/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 2/1/26 को पेश हो। WD
2/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनु॰/ न्यायालय समय में फेज-2 पर आवाजें लगवाई गई किन्तु वकील पक्षकारान अनु॰/ पत्रावली वास्ते अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। WD